



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07/09/2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा ने थाने के मु0अ0सं0 389/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित/25 हजार रुपये के इनामी एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 389/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित/25 हजार रुपये के इनामी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विनोद की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1- विनोद पुत्र हरशरण निवासी महावीर वली गली कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 522/16 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- मु0अ0सं0 525/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 526/16 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 527/16 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 140/22 धारा 420 भादवि व 13 जी एक्ट थाना कोतवाली बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 389/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री रवेन्द्र सिंह पलावत प्रभारी एसओजी बागपत ।
- 3-है0का0 498 सतीश कुमार एसओजी बागपत ।
- 4-का0 568 अरुण कुमार एसओजी बागपत ।
- 5-का0 60 सन्दीप कुमार एसओजी बागपत ।
- 6-का0 375 मोनू शर्मा एसओजी बागपत ।
- 8-का0 89 सजय कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 07.09.2022

थाना बालैनी पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 05 नफर वारण्टी अभियुक्त 1. कपिल 2. मनीष 3. प्रदीप 4. जोगेन्द्र 5. ब्रह्मपाल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1. कपिल पुत्र शरणवीर निवासी ग्राम पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत ।
2. मनीष पुत्र वचन सिंह निवासी ग्राम पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत ।
3. प्रदीप पुत्र शरणवीर निवासी ग्राम पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत ।
4. जोगेन्द्र पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम घटौली थाना बालैनी जनपद बागपत ।
5. ब्रह्मपाल पुत्र अजय सिंह निवासी ग्राम घटौली थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री बृजेश पौनिया थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3- का0 1024 उपेन्द्र यादव थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4- का0 354 सतवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

5- का0 980 अरविन्द थाना बालैनी जनपद बागपत ।

6- का0 1101 सत्यवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.09.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से क्रूरतापूर्वक भरे हुए 11 पशु एवं तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी आयशर कैंटर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से क्रूरतापूर्वक भरे हुए 11 पशु एवं तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी आयशर कैंटर रजि0 न0 UP- 14KT- 7092 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0स0- 865/22 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. कर्म सिंह चौहान पुत्र साहब सिंह चौहान निवासी मौ० देशराज कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
2. शाहबाज पुत्र शीनू निवासी चौधरान पट्टी शोरगिराम मौहल्ला कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. आरिफ पुत्र इस्लाम निवासी होली चौक गांव सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत ।
4. अबुजर पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी मौ० घोसियान कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापर्वक भरे हुये 11 पशु ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी आयशर कैन्टर रजि० न० UP- 14KT- 7092

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री दीपक कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का० 775 मंजीत पूनियाँ थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-पीआरडी 6018 सुनील थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 07-09-2022

थाना बालैनी पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से क्रूरतापूर्वक भरे हुए 12 पशु एवं तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी आयशर कैन्टर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से क्रूरतापूर्वक भरे हुए 12 पशु एवं तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी आयशर कैन्टर बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. विकास पुत्र भीम सिंह निवासी कालानौर थाना करीमुद्दीन नगर मडियाई थाना सरधना जनपद मेरठ ।
3. बिलाल उर्फ आसिफ पुत्र बाबू निवासी करीमुद्दीन नगर मडियाई थाना सरधना जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 12 पशु ।

- एक गाड़ी आयशर कैंटर नम्बर- एचआर-45सी-9484

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री धनवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-का0 980 अरविन्द थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 07-09-2022

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 129/22 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित 01 चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से नलकूपो से चोरी किया हुआ सामान एक स्टार्टर की बॉडी व एक श्री फैस विघुत केबल बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 07.09.22 को थाना बालैनी पर वादी श्री कवरपाल यादव पुत्र स्व श्री जयभगवान निवासी ग्राम बुढसैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1- लाखन पुत्र स्व0 रामकुमार 2- बाबू पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत व दो



अज्ञात अभियुक्तों द्वारा जंगल ग्राम बुढसैनी के नलकूपो से नलकूप सम्बन्धी सामान चोरी किया जा रहा था । जिनमें से अभियुक्त लाखन पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी ग्राम सैडभर

थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को वादी व जनता के लोगों द्वारा पकड कर थाने लाया गया । अभियुक्त के अन्य साथी मौके से फरार हो गये । थाना बालैनी पुलिस द्वारा अभियुक्त लाखन उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से नलकूपो से चोरी किया हुआ सामान एक स्टार्टर की बॉडी व एक थ्री फैस विघुत केबल बरामद हुआ है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0स0 129/22 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- लाखन पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी ग्राम सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- नलकूपो से चोरी किया हुआ एक स्टार्टर की बॉडी ।
- नलकूपो से चोरी किया हुआ एक थ्री फैस विघुत केबल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-का0 805 अमरीश थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 07.09.22

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से क्रूरतापूर्वक भरे हुए 04 पशु एवं तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी टाटा मैजिक बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से क्रूरतापूर्वक भरे हुए 04 पशु एवं तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी टाटा मैजिक बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुरेन्द्र पुत्र राममुर्ति निवासी कैमरी थाना हिसार जनपद हिसार हरियाणा ।
- 2-सोनू पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी कैमरी थाना हिसार जनपद हिसार हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापर्वक भरे हुए 04 पशु ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी टाटा मैजिक HR-39E-3265

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अखिलेश यादव
- 2-का0 720 इमरान खान
- 3-का0 280 मनोज नागर
- 4.का0 1036 धर्मेन्द्र सिंह



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 07.09.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से करीब 2.5 क्विंटल लोहा तार, 06 कट्टा बफ मिट्टी भरे हुए, 03 कैन गन्धक युक्त केमिकल (120 लीटर) व 06 डिब्बा खाली केन बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से करीब 2.5 क्विंटल लोहा तार, 06 कट्टा बफ मिट्टी भरे हुए, 03 कैन गन्धक युक्त केमिकल (120 लीटर) व 06 डिब्बा खाली केन बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0

196/2022 धारा 268/269/270/278 भादवि व 2/3 वायु (प्रदूषण निवास कौरबटी) अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शीशराम पुत्र हरकेश निवासी वस्तौरा थाना रहेरा जनपद अमरोहा।
2. लक्ष्मण पुत्र वेदराम निवासी वस्तौरा थाना रहेरा जनपद अमरोहा।

बरामदगी का विवरण-

- करीब 2.5 क्विंटल लोहा तार।
- कट्टा बफ मिट्टी भरे हुए 06।

- 03 कैन गन्धक युक्त केमिकल (लीटर 120) ।
- डिब्बा खाली केन 06 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि श्री अखिलेश यादव थाना चांदीनगर
2. का0 280 मनोज नागर थाना चांदीनगर
3. का0 720 इमरान खान थाना चांदीनगर



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 07.09.2022

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 8.5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 8.5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सुभाष पुत्र ताराचन्द्र निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 8.5 लीटर अवैध कच्ची शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 708 नरेश थाना छपरौली ।

2-का0 731 मनीष कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 07.09.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 376/2022 धारा 354/452/504/506
भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 376/2022 धारा 354/452/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-शकील उर्फ भूरा पुत्र बाबू नाई निवासी ग्राम रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री कान्ती प्रसाद गौतम थाना खेकड़ा ।
2. का0 588 अजय कुमार थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 07.09.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 339/2022 धारा
376/511/342/354/504 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 339/2022 धारा 376/511/342/354/504 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-सैन्सरपाल सिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक अपराध श्री राजकुमार थाना खेकड़ा बागपत ।

2. है0का0 209 मनोज भाटी थाना खेकड़ा बागपत ।
3. का0 455 विजय सैनी थाना खेकड़ा बागपत ।
4. का0 956 राजदीप सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनांक 07.09.2022

थाना रमाला पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- दीपक पंवार पुत्र नरवर सिंह निवासी पट्टी मादान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना रमाला ।

2- का0 1032 ब्रजेश थाना रमाला ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनाँक 07-09-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 302/22 धारा 363 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 302/22 धारा 363 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है । अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 7/8 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पूर्व में अपरहता को सकुशल बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.वीशू पुत्र प्रमोद निवासी नंगला जाफराबाद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री महेन्द्र सिंह चौहान

2-का0- 173 सिगराज नागर